

# कार्यालय नगरपालिक निगम मुरैना (म.प्र.)

मुरैना, दिनांक- 30/04/26

क्रमांक/ई-टेण्डर/2026-27/916

## “ई-निविदा आमंत्रण सूचना”

एतद द्वारा नगर पालिका निगम मुरैना के अंतर्गत आने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों/अन्य कार्यक्रमों/मेलों आदि कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2025-26 हेतु साउण्ड व्यवस्था के लिए इच्छुक व्यवसायियों से नीचे दर्शित अनुसार आयटम रेट आमंत्रित की जाती है उक्त दरें स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेंगी उक्त आइटम रेट बुलाने हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रण की जाती है।

स. क्र.	ऑनलाइन नं. टेण्डर क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित राशि	कार्य की अमानत राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य हेतु समयवधि
1	2026-011 506336	साउण्ड व्यवस्था 1.तुरई 2.माईक स्टेण्ड 3.कार्डलेस माईक 4.मिक्सर मशीन 5.ईको सिस्टम 6.पेटी बाक्स 7.स्टेज के लिये मॉनीटर 8.डाईस 9.एक सेट कम्पलीट 02 तुरई 01 माईक बेटरी सहित प्रचार हेतु 10.एक सेट कम्पलीट 02 तुरई 01 माईक मय बेटरी सहित ई रिक्सा 11. चिप कम्पलीट मुनादी 12.रिकार्डिंग कार्यक्रम 13.सूविंग हेड लाईट 14.लेजर लाईट स्टेज पर 15.फोक्स लाईट 16.फिगर बादल लाईट 17.स्मोक मशीन 18.कलर चेन्जिंग लाइट 19.साउण्ड मशीन 20.जे.बी.एल पेटी बाक्स 21.आडियो बाक्स 22.बेटरी 23.एम्पलीफायर	40 लाख	40,000/-	5000/-	01 वर्ष

भारत:-

- ऑनलाइन निविदा प्रपत्र क्रय करने एवं दर प्रस्तुत करने की दिनांक.....11/05/26.....से दिनांक.....09/06/26.....को सायं 05:30 बजे तक की जा सकती है।
- निविदा हेतु निर्धारित अमानत राशि की बैंक ई-पेमेंट एफ.डी.आर. एवं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जी.एस.टी. नंबर, ई.पी.एफ.ई.एस.आई.सी. (कार्य एल.ओ.ए के बाद), स्थापना रजिस्ट्रेशन, एफीडेबिट, पेनकार्ड नंबर, ऑर्गनाइजेशन डिटेल्स, आधार कार्ड दिनांक.....09/06/26.....को सायं 05:30 बजे तक वेबसाइट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) में अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- निविदा प्रपत्र दिनांक .....11/06/26.....को खोली जावेगी।
- निर्धारित अमानत राशि एवं दस्तावेज निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन अपलोड न करने पर उक्त ठेकेदार की निविदा नहीं खोली जावेगी।
- उपरोक्त निविदा सूचना विभाग की वेबसाइट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर देखी जा सकती है। निविदा में किया गया कोई भी संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही किया जावेगा।
- निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। जिसके लिए कोई भी कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
- सफल निविदाकार द्वारा Bid Amount की 3 प्रतिशत Performance security जमा कराने के बाद ही अनुबंध/कार्यादेश किया जायेगा।
- Similar nature of work के experience होना अनिवार्य है।
- नियमानुसार जी.एस.टी. का भुगतान पृथक से किया जावेगा।
- किसी भी नगरीय निकाय में कम से कम 01 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है।
- डेकोरेशन में लगने वाले समस्त सामान जैसे बांस बल्ली, रस्सी आदि का प्रबंध ठेकेदार प्रथक से करेगा और उसका कोई भी भुगतान नहीं किया जावेगा।
- यदि कोई सामान जलता है या गुम होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- यदि ठेकेदार ऑर्डर के अनुसार निश्चित समय में माल सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो निगम को यह अधिकार होगा समान अन्य स्थानों से लेकर लगवाले की व्यवस्था करेगा और ऐसा करने में जो भी अधिक व्यय होगा उसकी बसूली व क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जावेगी।
- यदि ठेकेदार उक्त कार्य समय पर नहीं करता ऑर्डर मिलने पर भी सामान प्रदाय नहीं करता है तो उक्त ठेकेदार की एफ.डी.आर राजसात कर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही आयुक्त नगर पालिक निगम मुरैना को अधिकार होगा।
- कार्यक्रम करने में ठेकेदार द्वारा असमर्थता जताई जाती है तो किसी अन्य ठेकेदार से वह कार्य कराया जा सकता है संबंधित ठेकेदारों को कोई आपत्ति नहीं होगी।




- 04 से 05 कार्यक्रमों का एकजाही कार्यादेश बनाकर संबंधित ठेकेदार को दिया जा सकता है। यदि दर 24 घण्टे के लिए मान्य होगी। ठेकेदार द्वारा कोई कार्यक्रम से मना किया जाता है तो अन्य किसी भी ठेकेदार से वह कार्य न्यूनतम दर पर कराया जा सकता है जिसमें चयनित ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- जो चयनित स्वीकृत दर पर सामग्री है अगर उसमें कोई सामग्री प्रथक से लगाने के लिए आदेशित किया जाता है तो उसी सामग्री का भुगतान किया जावेगा।
19. ठेकेदार द्वारा अनुबंध सम्पादित किये जाने के समय पर निविदा में जो शर्तें दी गई हैं उसकी समहती ई-स्टाम्प पर दें।
20. सांउड के साथ जनरेटर 20 किलोवाट मय डीजल मय ऑपरेटर प्रति नग प्रस्तुत करें।

  
आयुक्त  
नगरपालिक निगम मुरैना  
मुरैना, दिनांक-

क्रमांक/ई-टेण्डर/2026-27/

प्रतिलिपि:-

1. संवाददाता.....की ओर लेख है कि कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कम से कम स्पेश में अपने दैनिक समाचार पत्र में अविलम्ब कराने का कष्ट करें।

  
आयुक्त  
नगरपालिक निगम मुरैना